



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07082026-275262
CG-MH-E-07082026-275262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4176]
No. 4176]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 5 अगस्त, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20A के तहत

का.आ. 4352(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के धुले जिला में "धुले (बोरविहीर) - नरदाना नई लाईन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी शिरपूर, भाग शिरपूर महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के अंतर्गत 2 गाँव का विशेष रेल परियोजना “धुले (बोरविहीर) - नरदाना नई लाईन” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तहसील का नाम	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	गट संख्या / सर्वे संख्या	भूधारण पद्धती	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)		
1	18/2026	वाघाडी बुद्रुक	शिंदखेडा	शरद विठ्ठल पाटील व इतर	102/3	जिरायत	1.700	0.220		
2				महेश यशवंत पाटील व इतर	101/1	जिरायत	7.450	0.660		
3				किसन तुळशीराम पाटील	17/2	जिरायत	0.470	0.230		
				वाघाडी खुर्द		कुल			9.620 (हे.आर.)	1.110 (हे.आर.)
4		अंकुश शांतीलाल माळी व इतर			158	जिरायत	0.890	0.890		
5		हिरालाल पुंडलिक माळी			165/2	जिरायत	1.670	0.390		
6		अंकुश शांतीलाल माळी काशिनाथ शांतीलाल माळी व इतर			165/3	जिरायत	1.680	0.320		
7		राहुल कांतीलाल सूर्यवंशी व इतर			165/4	जिरायत	1.680	0.300		
8		उमेश मन्नालाल जैन व इतर			230	जिरायत	8.930	0.150		
9		परशराम हिम्मतराव जाधव			210	जिरायत	0.140	0.140		
10		परशराम हिम्मतराव जाधव			211	जिरायत	0.020	0.020		
					कुल			15.010 (हे.आर.)	2.210 (हे.आर.)	
					कुल योग			24.630 (हे.आर.)	3.320 (हे.आर.)	

[फा. सं. G197/Dhule-Nardana New Line/Waghadi Khurd+1 Vlg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th August, 2026

Under clause 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4352(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Dhule (Borvihar)—Nardana New Line”** in the District of Dhule in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Sub-Divisional Officer, Shirpur Division, Shirpur** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of “Dhule (Borvihar)—Nardana New Line” for 2 villages in the District of Dhule in the State of Maharashtra.

S. N.	Land Acquisition SR NO.	Name of Viilage	Taluka	Land Owner's Name according to 7/12 Extracts	Survey No.	Land Holding Method	Total Area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)	
1	18/2026	Waghadi Budruk	Sindhkheda	Sharad Vitthal Patil & Others	102/3	Jirayat	1.700	0.220	
2				Mahesh Yashvant Patil & Others	101/1	Jirayat	7.450	0.660	
3				Kisan Tulshiram Patil	17/2	Jirayat	0.470	0.230	
		Total					9.620 (Ha.)	1.110 (Ha.)	
4		Waghadi Khurd		Ankush Shantilal Mali & Others	158	Jirayat	0.890	0.890	
5				Hiralal Pundalik Mali & Others	165/2	Jirayat	1.670	0.390	
6				Ankush Shantilal Mali, Kashinath Shantilal Mali & Others	165/3	Jirayat	1.680	0.320	
7				Rahul Kantilal Suryavashi & Others	165/4	Jirayat	1.680	0.300	
8				Umesh Mannalal Jain & Others	230	Jirayat	8.930	0.150	

9				Parsharam Himmatrao Jadhav	210	Jirayat	0.140	0.140
10				Parsharam Himmatrao Jadhav	211	Jirayat	0.020	0.020
				Total			15.010 (Ha.)	2.210 (Ha.)
				Grand Total			24.630 (Ha.)	3.320 (Ha.)

[F. No. G197/Dhule-Nardana New Line/Waghadi Khurd+1 Vlg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)